बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र02 / बोर्ड विविध–21 / 2010(खंड–I) पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत "हर घर नल योजना" के लिए राज्य के सभी पंचायतों में वार्ड स्तर पर जलापूर्ति के लिए स्थापित किए जाने वाले मोटर पम्प हेतु विद्युत सम्बन्ध स्थापित करते हुए ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ता के न्यूनतम दर रू० 2.65 (दो रूपये पैसठ पैसे) प्रति यूनिट पर विपत्रीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत दोनों वितरण कम्पनियों को इस योजना के पूर्ण कार्यान्वयन होने पर आकलित विद्युत खपत 450 मिलियन यूनिट पर रू० 211.50 करोड़ (दो सौ ग्यारह करोड़ पचास लाख रूपये) अनुदान की स्वीकृति के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू० 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

राज्य सरकार के स्तर पर यह मत गठित हुआ है कि राज्य की जनता को सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग को विद्युत आपूर्ति मद में वास्तविक व्यय के विरूद्ध निर्धारित दर रू0 2.65 प्रति यूनिट के दर से दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत आपूर्ति किये जाने के कारण अपेक्षित सहायता प्रदान की जाय।

2. उल्लेखनीय है कि वितरण कम्पनियों का वर्ष 2018–19 के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा निर्धारित प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति लागत दर रू० 7.35 है।

3. उपर्युक्त दर से जलापूर्ति योजनाओं का विपत्रीकरण करने हेतु प्रति युनिट 4.70 रू0 का अनुदान विद्युत वितरण कंम्पनियों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

4. जलापूर्ति के लिए उक्त योजना के अन्तर्गत हर घर नल योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् कुल 450 मिलियन यूनित वार्षिक विद्युत खपत अनुमानित है। उक्त मात्रा में 2.65 रूपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत आपूर्ति होने पर राज्य सरकार के स्तर पर दोनों वितरण कम्पनियों के लिए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को कुल 211.50 करोड़ रूपये का वार्षिक वित्तीय भार अनुमानित है, जो विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित विद्युत आपूर्ति दर पर आधारित होगा। बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए इस मद में कुल 50.00 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

5. तद्नुसार उक्त मद में अपेक्षित सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

6. उक्त आलोक में सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत "हर घर नल योजना" के लिए राज्य के सभी पंचायतों में वार्ड स्तर पर जलापूर्ति के लिए स्थापित किए जाने वाले मोटर पम्प हेतु विद्युत सम्बन्ध स्थापित करते हुए ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ता के न्यूनतम दर रू० 2.65 (दो रूपये पैसठ पैसे) प्रति यूनिट पर विपत्रीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत दोनों वितरण कम्पनियों को इस योजना के पर्ण कार्यान्वयन होने पर आकलित विद्युत खपत 450 मिलियन यूनिट पर रू०

211.50 करोड़ (दो सौ ग्यारह करोड़ पचास लाख रूपये) अनुदान की स्वीकृति के साथ–साथ वर्ष 2018–19 में रू० 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. उक्त राशि बजट मुख्य शीर्ष "2801–बिजली, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता" मांग संख्या–10, उपशीर्ष –0004–बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, विपत्र कोड 10–2801801900004, विषय शीर्ष–33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय शीर्ष 2018–19 में द्वितीय अनुपूरक में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

8. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना चालू खाता संख्या–10839114909 एवं IFSC Code-SBIN0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा की जायेगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या– प्र02/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) के पृष्ठ संख्या–143/टि0 पर दिनांक–28.08.2018 को प्राप्त है।

11. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र02/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) पृष्ठ संख्या–148/टि0 पर दिनांक–05.09.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) 2466 /पटना, दिनांक– 18/10/18

प्रतिलिपि:–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।